

(3) सेवाओं/पदों का विवरण:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग. भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OAL,B)	8	56100 (स्तर-12)
2	छ.ग.राज्य वित्त सेवा अधिकारी वित्त विभाग	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA,OL,OAL,BL,HH)	6	56100 (स्तर-12)
3	खाद्य अधिकारी/सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	56100 (स्तर-12)
4	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	4	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	56100 (स्तर-12)
5	सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OA)	6	56100 (स्तर-12)
6	जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56100 (स्तर-12)
7	राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (BL,OA,OL,OAL)	6	56100 (स्तर-12)
	बैंकलॉग	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	अधीक्षक जिला जेल जेल विभाग	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	56100 (स्तर-12)
9	सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	56100 (स्तर-12)
10	सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग	5	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	56100 (स्तर-12)
	बैंकलॉग	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	जिला सेनानी गृह विभाग	5	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	56100 (स्तर-12)
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	4	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	01 (OL,HH,OA,BL,LV,B)	10	38100 (स्तर-9)
13	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	01 (OAL)	7	38100 (स्तर-9)
14	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त विभाग	8	3	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	03 (OAL,BL,HH)	23	38100 (स्तर-9)
	बैंकलॉग	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	नायब सहसिलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	17	5	13	6	4	1	3	1	1	-	1	-	02 (OA,OL,BL,OAL, B,LV,HH) 01 UR (DH)	42	35400 (स्तर-8)
	कैरिफार्वर्ड भूतपूर्व सैनिक	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
16	राज्य कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	12	3	9	4	3	-	2	1	1	-	-	-	-	34	28700 (स्तर-7)
	बैंकलॉग	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारिता विभाग	16	5	13	5	4	1	3	1	1	-	1	-	01 (HH) 01 (OA,OL,OAL) 02 ST (HH) 01 SC (OA,OL,OAL)	44	28700 (स्तर-7)
	बैंकलॉग	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कुल योग :-		94	35	83	30										242	

Abbreviation Used: OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, HH-Hearing Handicapped, B-Blind, OAL-One Arm and One Leg, LV-Low Vision, DH-Deaf and Hard of Hearing

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19688/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होंगी।

संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जन. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किन्तु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर कार्यरत हैं, उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। देखे विज्ञापन की कंडिका 8.2 (A)

(iv) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त